# गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय
## ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र.

जीबीयू-003/वित्त/5.36/2021-1030 दिनाँक : 18 अक्टूबर, 2021

### :: सूचना ::

विश्वविद्यालय सूचना संख्या-जीबीयू-002/प्रशा./2.3/2021-3115 दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 एवं कार्यालय आदेश संख्या-जी.बी.यू./003/वित्त/2021-53 दिनांक 16 अक्टूबर, 2021 के क्रमागत में छात्रावास शुल्क धनराशि एवं मेंस अग्रिम धनराशि का समायोजन (Adjustment) / जमा कराये जाने की व्यवस्था निम्नवत रहेगी:-

क) **छात्रावास शुल्क धनराशिः**

1. शैक्षिक सत्र 2020-21 के प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं को छात्रावास शुल्क धनराशि रू0 15,000/- (रू0 पन्द्रह हजार मात्र) अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना था। जिनके द्वारा यह धनराशि जमा करा दी गयी है, वह भुगतान राशि के साक्ष्य सहित लेखा विभाग से प्राप्ति रशीद जारी करायें।
2. शैक्षिक सत्र 2020-21 के द्वितीय वर्ष एवं उसके बाद के छात्र-छात्राओं को छात्रावास शुल्क धनराशि रू0 12,500/- (रू0 बारह हजार पाँच सौ मात्र) अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना था। जिनके द्वारा यह धनराशि जमा करा दी गयी है, वह भुगतान राशि के साक्ष्य सहित लेखा विभाग से प्राप्ति रशीद जारी करायें तथा जिनके द्वारा उपरोक्त राशि जमा नहीं करायी गयी है, वह तत्काल राशि को जमा कराते हुए लेखा विभाग से प्राप्ति रशीद जारी करायें।
3. शैक्षिक सत्र 2020-21 में जिन छात्र-छात्राओं को छात्रावास में आवंटित होने से छूट प्रदान की गयी है वह साक्ष्य सहित लेखा विभाग में सम्पर्क करें ताकि उन छात्र-छात्राओं की शुल्क डाटा वित्त विभाग में अपडेट किया जा सके।
4. शैक्षिक सत्र 2021-22 के विषम सेमेस्टर हेतु छात्र-छात्राओं को छात्रावास शुल्क धनराशि रू010,000/- (रू0 दस हजार मात्र) जमा कराना अनिवार्य हैं।

ख) **मेंस अग्रिम धनराशिः**

1. शैक्षिक सत्र 2020-21 के प्रथम वर्ष के छात्र-छात्राओं द्वारा जमा की गयी मेस अग्रिम धनराशि रू0 10,000/- (रू0 दस हजार मात्र) में से रू0 93.85 प्रतिदिन प्रति छात्र की दर से वास्तविक भोजन उपभोग राशि की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि का समायोजन (Adjustment) शैक्षिक सत्र 2021-22 के विषम सेमेस्टर की शुल्क से किया जायेगा।
2. शैक्षिक सत्र 2020-21 के द्वितीय वर्ष एवं उसके बाद के छात्र-छात्राओं द्वारा जमा की गयी मेस अग्रिम धनराशि रू0 5,000/- (रू0 पाँच हजार मात्र) में से रू0 93.85 प्रतिदिन प्रति छात्र की दर से वास्तविक भोजन उपभोग राशि की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि का समायोजन शैक्षिक सत्र 2021-22 के विषम सेमेस्टर की शुल्क से किया जायेगा।

**3.** शैक्षिक सत्र 2021–22 में विषम सेमेस्टर में छात्रावास मेंस अग्रिम धनराशि के रूप में रू0 9,000/– (रू0 नौ हजार मात्र) जमा कराया जाना अनिवार्य है। अतः बिन्दु–1 व 2 के अन्तर्गत आने वाले छात्र–छात्राओं को वास्तविक मेस उपभोग राशि कटौती के उपरान्त अवशेष राशि को जमा कराना अनिवार्य है।

**4.** जो छात्र–छात्रायें बिन्दु संख्या–1,2 व 3 के अन्तर्गत नहीं आ रहे हैं उन्हें विषम सेमेस्टर में मेस अग्रिम धनराशि के रूप में रू0 9,000/– (रू0 नौ हजार मात्र) जमा कराया जाना अनिवार्य है।

**5.** मेस अग्रिम धनराशि से छूट प्राप्त कराये जाने वाले छात्र–छात्राये साक्ष्य सहित लेखा विभाग में सम्पर्क कर अपनी फीस डाटा बेस में प्रविष्टि करायें।

**6.** वास्तविक मेस उपभोग राशि की सूची/ विवरण यथाशीघ्र विश्वविद्यालय वेबसाईट www.gbu.ac.in पर प्रदर्शित किया जायेगा, तद्क्रमागत में छात्र–छात्रायें अपना अवशेष मेस धनराशि जमा कराना सुनिश्चित करें।

**(शीलेन्द्र कुमार शर्मा)**
प्रभारी वित्त अधिकारी

प्रतिलिपिः

1. मा0 कुलपति महोदय के स्टाफ को महोदय के संज्ञानार्थ।
2. कुलसचिव महोदय को सूचनार्थ।
3. समस्त अधिष्ठाता, प्रभारी अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिष्ठाता, छात्र कल्याण एवं मुख्य छात्रावास अभिरक्षक (पु0 एवं म0) को सूचनार्थ।
5. प्रभारी उप कुलसचिव को सूचनार्थ।
6. सिस्टम मैनेजर/तकनीकी अधीक्षक, केन्द्रीय कम्प्यूटर सेन्टर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आदेश समस्त सम्बन्धितों/छात्र–छात्राओं को ई–मेल के माध्यम से सूचित करना एवं विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. गार्ड फाईल।

18/10/2021
प्रभारी वित्त अधिकारी